

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 19/2023

GCMS No. : 2023/25

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल मैसर्स कलाणा स्टोर्स पुराना बस स्टेण्ड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 उपस्थिति :-

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक : 13-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। अतः पत्रावली में अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थी दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कलाणा स्टोर्स पुराना बस स्टेण्ड पाली पर गये तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी आम जन को उपयोग हेतु बेसन बेच रहा था, दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान पर 08-10 किलो बेसन रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 60/- नकद देकर 2 किलो बेसन जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 02 किलो बेसन को नियमानुसार चार भागों में बांटकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये। चारों नमूना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर 1542 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमूना पैकेट को अगले कार्यदिवस पर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी अप्रार्थी की फर्म से लिया गया बेसन के नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard बेसन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली (राज.)

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु बेसन क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1542 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1721/एक्ट/2022/1723 दिनांक 19.10.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-1542 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अप्रार्थी को प्रकरण में नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामील प्राप्त होने क बावजूद भी असागतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही किसी भी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। यह स्थिति अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति को दर्शाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा बेसन Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20000/- अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 13-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली